न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 78/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।
——प्रार्थी

बनाम

विजय सिंह पुत्र भवानी सिंह, जाति अहीर, निवासी दुलोठ, थाना महेन्द्रगढ, जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
——अप्रार्थीगण

अभियोग संख्या 67/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुलिस थाना पचेरी कलां मे जप्तशुदा डीजल का धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत निस्तारण बाबत।

——

उपस्थितः—

1. श्री रामावतार, विभागीय प्रतिनिधि—प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट —अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 26.07.2021

प्रार्थी जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 31.03.2021 को मुकदमा मुस्तगीस श्री ज्ञानसिंह चौधरी आर0पी0एस0 वृताधिकारी वृत बुहाना ने एक फर्द जप्ती इस आशय की पेश की कि मन ज्ञानसिंह चौधरी आर0पी0एस0 वृताधकारी वृत बुहाना मय जाब्ता श्री भीमसिंह कानि0 मय सरकारी गाडी मय चालक श्री घनश्याम कानि0 के समय 05.00 पीएम पर वृत कार्यालय बुहाना से राजकार्य हेतु रवाना होकर समय करीब 05.20 पीएम पर भिर्र बस स्टेण्ड पर पहुंचा जहां पर जरिये मुखबीर खास ईत्तला मिली कि भालोठ की तरफ से एक पिकअप गाडी नम्बर एचआर 66 बी 0483 मे जिसके पीछे टैंकर लगा हुआ है मे डीजल भरकर बेच रहा है। ईत्तला विश्वसनीय होने पर हमराही जाब्ता को ईत्तला से अवगत करवाया व ईत्तला के सत्यापन हेतु अतिरिक्त जाप्ते की ईमदाद हेतु थानाधिकारी पचेरी कलां को दो मुलाजमान बावर्दी देवलावास स्टेण्ड पर भेजने की हिदायत देकर मौजा भिर्र से रवाना हाकर समय 05.45 पीएम पर देवलावास पहुंचा जहां पर थाना पचेरी कलां से श्री निहाल सिंह 471 व पवन कुमार कानि0 1037 बावर्दी मौजूद मिले। जिनको ईत्तला से अवगत करवाकर हमराह साथ लेकर समय 06.00 पीएम पर मेघपुर चोराहा आम सडक पर पहुंचा तो रोड की एक तरफ एक पिकअप गाडी खडी दिखाई दी। जिसके पीछे छोटा टैंकर लगा था जो अचानक पुलिस जाप्ता को बावर्दी देखकर पिकअप गाडी को छोडकर भागने लगा तो मन वृताधिकारी ने हमराही जाप्ते की मदद से घेरा देकर डिटेन किया। डिटेनशुदा शख्स से नाम पता पूछा तो अपना नाम विजय सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह जाति अहीर, उम्र 42 साल निवासी दुलोठ थाना महेन्द्रगढ जिला महेन्द्रगढ हरियाणा का होना बताया। डिटेनशुदा शख्स विजय सिंह से मन वृताधिकारी ने भागने का कारण पूछा तो सकपकाते हुए बताया कि मैं पिकअप गाडी के पीछे बने टैंकर मे अवैध डीजल भरकर बेच रहा था, इसलिए डर के मारे भाग रहा था। जिस पर डिटनेशुदा शख्स विजय सिंह को हमराह लेकर पिकअप गाडी के पास पहुंचा व पिकअप गाडी को चैक किया। पिकअप गाडी के आगे पीछे एचआर 66 बी 0483 नम्बरों की नंबर प्लेट लगी हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:52 IST
Reason: SelfAttested

पिकअप गाडी के ईंजन नम्बर TNL4K84468 व चैचिस नम्बर MA1ZC4TNKL3K88782 है। पिकअप गाडी के अन्दर डेस्क टाप पर एक जय बाबा फतेहराम फिलिंग स्टेशन दुलोठ अहीर जिला महेन्द्रगढ हरियाणा के पेट्रोल पम्प की रसीद बुक क्रमांक 2401 से 2500 तक की मिली। जिसका अवलोकन किया गया तो रसीद क्रमांक 2401 से 2460 तक भरी हुई है। पिकअप गाडी के पीछे सिल्वर रंग का टैंकर बना हुआ है जिसके उपर दो ढक्कन लगे हुए है पीछे टैंकर पर चढने के लिए सिढी व दो बॉक्स बने हुए है। जिनको खोलकर चैक किया गया तो एक बॉक्स मे तेल नापने का मीटर तथा दूसरे बॉक्स मे पाईप व नोजल लगी हुई है। पिकअप गाडी के पीछे टैंकर को उपर से खोलकर चैक किया। टैंकर मे दो पाटीशन बने है। और दोनो पाटीशन के बीच हॉल है जिससे दोनो पाटीशन का लेवल एक है। टैंकर मे गेज से नापकर देखा व डिटेनेनशुदा शख्स विजय सिंह से पूछा तो टैंकर मे करीबन 200 लीटर अवैध डीजल भरा हुआ है। डिटेनशुदा शख्स विजय सिंह से इतनी मात्रा मे अवैध भरकर बेचने बाबत लाइसेन्स व अनुज्ञा पत्र के बारे मे पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स व अनुज्ञा पत्र नही होना बताया। पूछने पर बताया कि हरियाणा मे डीजल सस्ता है। मैं वहां से सस्ता डीजल लाकर यहां राजस्थान मे लाकर बेचता हूं और मुनाफा कमाता हूं।
शख्स मजकुर का सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध डीजल बेचना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खिलाफ वर्जी मे पाये जाने पर शख्स विजय सिंह के कब्जे मे मिली पिकअप गाडी मय टैंकर जिसमे अवैध डीजल भरा हुआ है को कब्जा पुलिस लिया जाकर मुल्जिम विजय सिंह को कर्ता जुर्म से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी पृथक से गिरफ्तार किया गया। मौके पर फर्दात लेपटॉप से टाईप कर प्रिन्टर से प्रिन्ट आउट कर हस्ताक्षर करवाये गये। जप्तशुदा वाहन को थाना परिसर मे खडा करवाया गया व जप्तुशुदा सैम्पल व माल को जमा मालखाना करवाया गया। इत्यादि पर फर्द जप्ती पर मुकदमा नं0 59/21 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे दर्ज कर अनुसंधान किया गया। प्रकरण हाजा मे उक्त जप्तशुदा पिकअप के टैंकर मे करीब 200 लीटर डीजल भरा हुआ है। उक्त डीजल के थाना पर रख रखाव की उचित व्यवस्था नही है। जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण मे जप्तशुदा डीजल निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि जप्तशुदा डीजल 200 लीटर के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। डीजल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना व डीजल 200 लीटर के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जप्तशुदा 200 लीटर डीजल ईट भट्टे पर काम लेने के लिए लाया था। अप्रार्थी बिक्री के उद्देश्य से उक्त डीजल नही लाया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया किया। प्रकरण के अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:52 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण मे डीजल हरियाणा से लाया गया है। उक्त डीजल की मात्रा 200 लीटर है। इतनी मात्रा मे हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल एवं पेट्रोल राजस्थान मे लाया है जबकि राजस्थान मे डीजल एवं पेट्रोल पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टैक्स बचाने के लिए डीजल वहां से लाकर बेचने हेतु लाया जा रहा था।

2. प्रकरण का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 के तहत किया जाना है। डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का अंतरिम निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्त डीजल 200 लीटर का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें जो जमा राशि एफ.आई.आर. 59/2021 (आपराधिक प्रकरण) के निर्णय के अध्ययधीन रहेगी आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू तथा जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/07/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:52 IST
Reason: SelfAttested